भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

24

आर0 ई0 आर0 केश नं0 57/15-16

कारू राय

बनाम्

जय नारायण राय एवं अन्य

-:आदेश:-

28/8/2023

आवेदक के कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ताओं को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक कारू राय पे0- स्व0 तिलक राय, साकिन- दक्षिण बहियार, अंचल- पोड़ैयाहाट, जिला- गोड्डा के आवेदन के आधार पर मौजा- दक्षिण बहियार के जमाबंदी नं0- 17 के दाग नं0- 689 की जमीन से निम्नांकित विपक्षियों- 1. जयनारायण राय रकवा- 00-01-00 कट्ठा 2. मोहन मुर्मू रकवा- 00-03-06 धूर 3. हीरा बेसरा रकवा- 00-02-00 धूर 4. देवनारायण मुर्मू रकवा- 00-03-00 धूर 5. ईश्वर मुर्म रकवा- 00-03-00 धूर 6. जीतन राय रकवा- 00-05-00 धूर जमीन को उसके सामने अंकित जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा प्रारंभ किया गया था एवं निस्पादनार्थ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को अंतरित किया गया है।

आवेदक का आवेदन है कि आवेदक मौजा- दक्षिण बहियार नं0-82, जमाबंदी नं0- 17 के जमाबंदी रैयत के वारिशान है।

विपक्षी की जमीन पर जबरन मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है एवं आवेदक के मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते है। उन्होंने विपयगत जमीन से उपरोक्त विपक्षियों को उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षियों को कारणपृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षियों की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी सं0- 01 देवनारायण राय का कथन है कि विपक्षी के पिता काफी गरीब एवं भूमिहीन थे। इन सारी परिस्थितियों को देखकर जमाबंदी रैयत विशम्हर राय वगैरह ने अपनी जमीन दाग नं0- 689 के अंदर रकवा- 00-01-00 धूर जमीन वजरिये कुर्फा बंदोबस्ती देकर बसाया है एवं विपक्षी के पिता वर्ष 1937 ई0 से उस पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे थे। उनके मृत्यु के उपरांत विपक्षी उक्त जमीन पर निर्मित मकान में सपरिवार निवास कर रहे है। इस प्रकार लंबे अंतराल के बाद विपक्षी को उक्त जमीन पर निर्मित मकान से उच्छेद करना न्यायोचित नही है। उन्होने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी सं0- 02 मोहन मुर्मू का कथन है कि जमाबंदी रैयत के वंशज अकलु राय ने अपने दखल कब्जे की जमीन दाग नं0- 689 के अंदर रकवा- 00-03-06 धूर जमीन बाबूलाल मुर्मू को वासोवास हेतु बजरिये कुर्फानामा के द्वारा वर्ष 1935 ई0 में हस्तांतरित कर दिया था और बाबूलाल मुर्मू ने तत्काल उक्त जमीन पर अपना मकान बना लिया एवं

सपरिवार उस पर निवास करने लगे। उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र विपक्षी मोहन मुर्मू उक्त जमीन पर अवस्थित मकान पर सपरिवार निवास कर रहे है। चूँकि विपक्षी भूमिहीन आदिवासी रैयत है एवं उक्त जमीन पर निर्मित मकान के अतिरिक्त अन्य कोई आवासीय मकान नहीं है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0- 03 हीरा वेसरा का कथन है कि जमाबंदी रैयत विशम्हर राय ने अपने हिस्से के जमीन दाग नं0- 689 के अंदर रकवा- 00-02-10 धूर जमीन मानिक हाँसदा को वसोवास के लिए दिया था। कालांतर में मानिक हाँसदा ने अपने पुत्री की शादी विपक्षी- हीरा वेसरा के साथ किया एवं अपने स्वअर्जित जमीन पर निर्मित मकान को भी अपने पुत्री को दे दिया था। इस प्रकार विपक्षी उस पर मकान बनाकर दखलकार है। अतएव विपक्षी का दखल कब्जा कायम हो गया है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0- 04 देवनारायण मुर्मू का कथन है कि आवेदक स्वंय बाहरी व्यक्ति है, वह ग्राम- बेरीशाल (चरधरा), थाना- बौंसी, जिला- बिहार का निवासी है एवं जमाबंदी रैयत विशम्हर राय का परनाती बताकर जमीन पर गलत दावा पेश कर रहे है। जबकि विपक्षी के पूर्वज को जमाबंदी रैयत विशम्हर राय के द्वारा वासोवास के लिए दाग नं0- 689 के अंदर रकवा- 00-02-00 धूर जमीन कुर्फा बंदोबस्ती द्वारा दिया गया है एवं विपक्षी उसपर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है। इस प्रकार वासगीत जमीन से विपक्षी को उच्छेद करना उचित नहीं है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0- 05 ईश्वर मुर्मू का कथन है कि विपक्षी सं0- 05 का मौजा- दक्षिण बहियार जमाबंदी नं0- 17, दाग नं0- 689 की जमीन पर दखल कब्जा कायम नहीं है बल्कि सही तथ्य यह है कि उक्त दाग नं0- 689 रकवा- 00-03-00 धूर जमीन पर उ0प्रा0वि0दक्षिण बहियार अवस्थित है एवं विपक्षी सं0- 05 उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। इसलिए उक्त जमीन को विद्यालय का परिसम्पति घोषित करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0- 06 जीतन राय उर्फ जीतेन्द्र राय का कथन है कि विपक्षी सं0- 06 स्वयं जमाबंदी रैयत के वैध उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं0- 06 का अवैध कब्जा के अंतर्गत नही आता है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक- 458/रा0, दिनांक- 06.06.2025 से जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- दक्षिण बहियार, थाना नं0- 82, जमाबंदी नं0- 17 कुल खतियानी रकवा- 01-06-17 धूर जमीन जमाबंदी रैयत विशम्हर राय वल्द

फकीर राय व भगन राय वल्द लछुमन राय व शलागी राय बंगाली राय पे0 विदेशी राय सा0 देह के नाम से गतसर्वे खतियान में दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जमीन पर विपक्षी सं0- 01 से 04 तक मकान के रूप में दखल कब्जा है। दाग नं0- 689 के अंदर रकवा- 00-03-00 धूर जमीन पर विद्यालय भवन अवस्थित है एवं उक्त जमीन के जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा विद्यालय भवन को दान में दिया गया है विपक्षीय सं0- 05 उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक है। आगे प्रतिवेदन है कि विपक्षी सं0- 06 जमाबंदी रैयत के वंशज है।

उपरोक्त तथ्यों एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा- दक्षिण बहियार नं0- 82, जमाबंदी नं0- 17 कुल खतियानी रकवा- 01-06-17 धूर जमीन जमाबंदी रैयत विशम्हर राय वल्द फकीर राय व भगन राय वल्द लछुमन राय व शलागी राय बंगाली राय पे0 विदेशी राय सा0 देह के नाम से गतसर्वे खतियान में दर्ज है। विपक्षी सं- 01 से 04 के द्वारा विपयगत जमीन कुर्फा बंदोबस्ती से प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं विपक्षी सं0- 05 का कथन है कि दाग नं0- 689 के अंतर्गत रकवा- 00-03-00 धूर जमीन पर उ0प्रा0वि0 दक्षिण बहियार अवस्थित है एवं विपक्षी सं0- 05 उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक है तथा विपक्षी सं0- 06 का दावा है कि वे गत जमाबंदी रैयत के वंशज है।

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि विपयगत जमीन पर विपक्षी सं0- 01 से 04 तक दखल कब्जा मकान के रूप में है तथा विपक्षी सं0- 05 के संबंध में यह प्रतिवेदन है कि विपक्षी उ0प्रा0वि0 दक्षिण बहियार के प्रधानाध्यापक है। चुँकि विपयगत जमीन पर विपक्षी सं0- 01 से 04 तक का दखल कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से मकान के रूप में है तथा उनलोगों के द्वारा उक्त जमीन पर दखल कब्जा दावा 1949 के 12 वर्ष पूर्व के कुर्फा बंदोबस्ती के आधार पर किया गया है एवं उसी दाग नं0- 689 के अंदर रकवा- 00-03-00 धूर जमीन पर विद्यालय अवस्थित है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0- 01 से 04 का दावा Adverse Possession के आधार है एवं चुँकि आवेदक स्वयं ही वर्त्तमान वाद में लगातार अनुपस्थित रहे है।

ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया गया।

28/08/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

28/08/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.09.09 15:52:18 +05:30
Location: 192.168.29.7